EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II—SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 2299—2301

Dated 26-10-2002

अधिसूचना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2002

सा.का.नि. 437.—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38 ख की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 63 की धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती नियम, 1994 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती नियम, 1994 की अनुसूची में, लेखाकार के पद से संबंधित क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
115 लेखाकार	1* (एक) (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "ख"	5500-175-9000 रु.	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
9	10	11
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
प्रोन्नति :—ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में आठ वर्ष नियमित सेवा कर चुका है और जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :— (1) सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण —अध्यक्ष	लागू नहीं होता

3264 E&F/2002

12	13	14
प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा जिसके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो। प्रतिनियुक्ति :—केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो पद धारण किए हुए हैं— (क) (1) नियमित आधार पर सहायक या अन्य समतुल्य पद; या (2) ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक या समतुल्य जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में तीन वर्ष का अनुभव हो, टिप्पण: (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	(2) पर्यावरण और वन मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक अधिकारी —सदस्य (4) वित्त अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण —सदस्य	

[फा. सं. 2-1/92 (सी जेड ए)]

जगमोहन शर्मा, संयुक्त निदेशक (वन्य जीव)

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र सं. 3561, तारीख 31 दिसंबर 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 18th September, 2002.

G.S.R. 437.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) of Section 63, read with Sub-section (7) of Section 38B of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Zoo Authority (Officers and Other Employees) Recruitment Rules, 1994, namely :—

1 (1) These rules may be called the Central Zoo Authority (Officers and Other Employees) Recruitment (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Scheduled to the Central Zoo Authority (Officers and Other Emplyees) Recruitment Rules, 1994, for serial number 5 relating to the post of Accountant and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(30	(4)	(5)
"5. Accountant	1* (one) (2002) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Rs. 5500-175-9000	Selection

.ge limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recuits
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up be various methods
(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two Years	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, than what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Promotion : Upper Division Clerk with eight years of regular service in the Central Zoo Authority having undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) and possess three year experience of cash, accounts and budget work. **Deputation :** Officers under the Central Government holding the post of :— (a) (i) Assistant or other equivalent post on a regular basis ; or (ii) Upper Division Clerk or equivalent with eight years regular service in the grade; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) and possess three years experience of cash, accounts and budget work; **Note** :—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion.	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting promotion): (1) Member Secrearty, Central Zoo Authority—Chairman (2) An officer from the Ministry of Environment and Forests not below the rank of Deputy Secretary—Member (3) An officer belonging to Schedule Caste/Schedule Tribe—Member (4) Finance Officer, Central Zoo Authority—Member	Not applicable".

[F.No. 2-1/92-CZA]

JAGMOHAN SHARMA, Jt. Director (WL)

Note :—The principal rules were published in the Gazette of Indian vide number S.O. 3561 dated the 31st December, 1994.

MIGPRRND—3264 E&F/2002—100.